पेंशन अवसंरचना विस्तार के लिये पेंशन योजनाएं

शिशिर सिन्हा

भारत ने मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो किसी देश के अपने नागरिकों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने संबंधी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिये एक सुस्थापित बेंचमार्क है.

2019 के सूचकांक में भारत को 37 देशों में 32वें स्थान पर रखा गया है जबकि 2018 में 34 देशों में इसका 33वां स्थान था. इसका स्कोर 2018 में 44.6 से सुधार के साथ 2019 में 45.8 हो गया. अब भी यह अंतिम पायदान से मात्र एक स्थान ऊपर है और इसे अर्जेंटीना, चीन, जापान, कोरिया, मैक्सिको, फिलीपीन्स, थाईलैंड और तुर्की के साथ रखा गया है. इन देशों में कैसी व्यवस्था है? इस प्रश्न का उत्तर उस समूह से संबंधित विवरण में निहित है जिसे कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है, ''यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ वांछनीय विशेषताएं हैं, लेकिन बड़ी कमज़ोरियां और/अथवा त्रुटियां भी हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है. इन सुधारों के बिना, इसकी प्रभावकारिता और स्थिरता संदेह में है.''

इस रैंकिंग में डेनमार्क, नीदरलैंड्स और आस्ट्रेलिया 75 से 80 तथा इससे ऊपर के सूचकांक मूल्य के साथ सर्वोच्च तीन देश हैं.

भारत के बारे में उल्लेख करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक तीन उप सूचकांकों में मामूली वृद्धि के कारण भारतीय सूचकांक मूल्य में वृद्धि हुई है जो कि पर्याप्तता, स्थिरता और अखंडता के साथ है. पर्याप्तता उप सूचकांक ग़रीबों को प्रदान किये जाने वाले लाभों और आय अर्जनकर्ताओं की एक शृंखला के साथ-साथ कई तरह की सुविधाओं तथा विशेषताओं पर आधारित है जो समग्र सेवानिवृत्ति आय प्रणाली की प्रभावकारिता बढ़ाते हैं. यहां, भारतीय उप सूचकांक मूल्य 38.7 से बढ़कर 39.9 हो गया.

स्थिरता उप सूचकांक में कई संकेतकों पर विचार किया जाता है जो वर्तमान सेवानिवृत्ति की आय प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं. यहां, भारत का स्कोर 43.8 से 44.9 हो गया था. अंत में, एकीकृत उप सूचकांक पेंशन प्रणाली के तीन व्यापक क्षेत्र हैं जो कि विनियमन और शासन, सदस्यों के लिये संरक्षण और संचार तथा परिचालन लागत. इस श्रेणी में भारत ने 55.2 से 56.3 का स्कोर अर्जित किया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां सेवानिवृत्ति आय प्रणाली में से एक कर्मचारी पेंशन योजना, परिभाषित अंशदायी कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित है तथा पूरक तौर पर नियोक्ता प्रबंधित पेंशन योजनाएं शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर परिभाषित अंशदायी योगदान प्रकृति की हैं. सरकारी योजनाओं को असंगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम इसके भाग के रूप में शुरू किया गया है. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल कर रही है.

आइए हम यहां भारत में उपलब्ध प्रमुख पेंशन योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं:

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)

1 जनवरी, 2004 से शुरू की गई यह योजना विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिये पेंशन प्रणाली में एक बदलाव के तौर पर देखी जाती है. इसके साथ ही पेंशन 'परिभाषित' से 'अंशदायी' बन गई. 22 दिसंबर, 2003 की एक सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सेवाओं के लिये सभी नई भर्तियों के लिये यह प्रणाली अनिवार्य हो गई (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर). प्रारंभ में, प्रत्येक भर्ती कर्मचारी के लिये मूल वेतन और डीए (मंहगाई भत्ता) का 10 प्रतिशत योगदान करने के लिये कहा गया था. हालांकि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में सरकार की ओर से कोई योगदान नहीं होगा जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं.

इस प्रणाली के तहत, दो प्रकार के खाते अर्थात टियर-1 और टियर-2 हैं. पहला सेवानिवृत्ति की आयु तक अर्थात 60 वर्ष तक गैर निकासी योग्य है. यहां तक कि सेवानिवृत्ति के समय, 40 प्रतिशत संचित धन को निवेश करने की आवश्यकता होगी, जो सरकारी कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करेगा और उसके बाद उसके, पति/पत्नी और आश्रित माता-पिता को पेंशन मिलेगी. शेष 60 प्रतिशत कर्मचारियों को एकमुश्त दिया जायेगा. यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से पहले पेंशन प्रणाली को छोड़ रहा है, तो उसे 20 प्रतिशत एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा, जबकि अनिवार्य उद्घोषणा पेंशन राशि का 80 प्रतिशत होगी. यहां, योगदान, संचय और निकासी पर कर नहीं लगता है.

टियर-2 खाता स्वैच्छिक और निकासी योग्य होगा. यह विकल्प सामान्य भविष्य निधि के रूप में दिया गया है और अब 1 जनवरी, 2004 को या इसके बाद सरकारी सेवाओं में होने वाली भर्तियों के लिये उपलब्ध नहीं है. हालांकि सरकार इस खाते में योगदान नहीं करती है लेकिन इसे टियर-1 की तरह प्रबंधित किया जाता है. कर्मचारी किसी भी समय इस खाते से राशि निकालने के लिये स्वतंत्र हैं. इस खाते के लिये कोई विशेष कर उपचार नहीं हैं.

इस बीच, केंद्र ने 6 दिसंबर, 2008 को एक मंत्रिमंडल फैसले के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिये एनपीएस में निम्नलिखित बदलावों की घोषणा की:-

- केंद्रीय सरकार द्वारा एनपीएस टियर-1 के तहत शामिल अपने कर्मचारियों के लिये अनिवार्य अंशदान में मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत किया जाना.
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन निधियों के चयन और निवेश की पद्धति के चयन के लिये स्वतंत्रता प्रदान

किया जाना.
- 2004-2012 के दौरान एनपीएस अंशदानों के ग़ैर जमाओं या देरी से जमा के लिये प्रतिपूर्ति का भुगतान.
- योजना छोड़ने पर एकमुश्त निकासी के लिये कर छूट की सीमा बढ़ाकर 60 प्रतिशत की गई. इसके साथ ही अब संपूर्ण निकासी को आयकर से छूट प्रदान कर दी गई है.
- एनपीएस के टियर-2 के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा योगदान अब सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी अन्य योजनाओं के समकक्ष आयकर के उद्देश्य के लिये रु.1.50 लाख तक की कटौती के लिये धारा 80सी के अधीन शामिल किया जाता है बशर्ते कि इसकी 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि हो.

इन परिवर्तनों से एनपीएस के अधीन आने वाले लगभग 18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा. यह भी आशा की जाती है कि राज्य सरकारें भी एनपीएस के अधीन नामांकित अपने कर्मचारियों को यह लाभ विस्तारित करेंगी.

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सफलतापूर्वक लागू किये जाने के बाद, एनपीएस 1 मई, 2009 से भारत के सभी नागरिकों के लिये, दिसंबर 2011 में कार्पोरेट के लिये, अक्तूबर 2015 में अनिवासी भारतीयों के लिये और अक्तूबर 2019 में भारत के समुद्रपारीय नागरिकों के लिये उपलब्ध कराई गई. भारत का नागरिक, निवासी या अनिवासी कोई भी एनपीएस सब्सक्राइब कर सकता है. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को उसकी आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिये तथा उसे अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नियमों का पालन करना होगा. यहां पर भी सब्सक्राइबर के पास दोनों ही विकल्प खाते अर्थात टियर-I और टियर-II उपलब्ध हैं. इन खातों के लिये शर्तें एवं निबंधन सरकारी कर्मचारियों के समान होंगी, हालांकि सरकार टियर-I में मैचिंग अंशदान नहीं करेगी.

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस)

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सब्सक्राइबर इस पेंशन योजना के लिये पात्र है और वह ईपीएफ का हिस्सा बनने के बाद स्वतः ही ईपीएफ का हिस्सा बन जायेगा. यहां केवल अंतर यह है कि कर्मचारी नहीं बल्कि नियोक्ता और सरकार अंशदान करती है. यहां रिटर्न की भी गारंटी होती है.

इस योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किया जाता है और वह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन प्राप्त हो जाये. इस समय कर्मचारी और नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत जमा मंहगाई भत्ता ईपीएफ में जमा करते हैं जबकि नियोक्ताओं से 8.33 प्रतिशत (12 प्रतिशत में से) ईपीएस के लिये जाता है और शेष राशि ईपीएफ के लिये होती है. साथ ही सरकार भी ईपीएस के लिये 1.16 प्रतिशत (कर्मचारी का मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ता) का योगदान करती है.

कोई व्यक्ति ईपीएस 95 के अधीन 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन प्राप्त करने के लिये पात्र हो जाता है. यद्यपि, इसमें एक शर्त में कहा गया है कि योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो (जरूरी नहीं कि ये लगातार सेवा होगी). विधवा/ विधुर के ईपीएस राशि प्राप्त करने के मामले में वे आजीवन राशि प्राप्त करते रहेंगे. इसके बाद बच्चों को उनकी 25 वर्ष की आयु होने तक पेंशन की राशि प्राप्त होगी. यदि बच्चा शारीरिक दिव्यांग है वह आजीवन पेंशन राशि प्राप्त करेगा.

इस समय मासिक पेंशन का आधार रु.1,000 है जबकि अधिकतम सीमा 15,000 रु. रखी गई है. यद्यपि, सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 से मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है. मूल वेतन पर 15,000 रु. की सीमा को उच्च न्यायालय ने हटा दिया था. साथ ही न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2000 रु. किये जाने का प्रस्ताव भी लंबे समय से लंबित है. इस बीच दोनों ही बदलाव अभी लागू किये जाने हैं क्योंकि सर्वोच्च अदालत के निर्णयों को लागू करने के लिये कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये गये हैं, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) न्यूनतम सीमा दोगुणा करने की सिफारिश नहीं की है.

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

जन धन से जन सुरक्षा के भाग के तौर पर एपीवाई का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 9 मई, 2015 को किया था. यह 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में सभी बचत बैंक/डाक घरों के लिये खुली है और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अंशदान अलग-अलग हो सकता है. सब्सक्राइबर्स 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रु. 1000 या रु. 2000 या रु.3000 या रु. 4000 या रु. 5000 की मासिक पेंशन गारंटी के साथ प्राप्त करेंगे.

एपीवाई के अधीन, सब्सक्राइबर को मासिक पेंशन मिलेगी और उसके बाद उसके जीवनसाथी को तथा उनकी मौत के बाद सब्सक्राइबर की 60 वर्ष की आयु पर गणना अनुसार पेंशन राशि सब्सक्राइबर के नामांकित को लौटा दी जायेगी. सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जायेगी उदाहरणार्थ यदि अंशदान के आधार पर संचयी निधियां निवेश पर अनुमानित वापसी से कम है और न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करने के लिये अपर्याप्त है, केंद्रीय सरकार इस अपर्याप्तता की पूर्ति करेगी. वैकल्पिक तौर पर यदि निवेश पर वापसी अधिक है, सब्सक्राइबर को बढ़े हुए पेंशन लाभ प्राप्त होंगे.

सब्सक्राइबर की पूर्व-परिपक्व मृत्यु की स्थिति में सरकार ने सब्सक्राइबर के पति/पत्नी को एक विकल्प देने का फैसला किया है ताकि सब्सक्राइबर के एपीवाई खाते में शेष निहित अवधि के लिये जब तक मूल ग्राहक की आयु 60 साल नहीं हो जाती योगदान जारी रखा जा सके. पति या पत्नी की मृत्यु होने तक ग्राहक उतनी ही पेंशन राशि पाने का हकदार होगा जितना की सब्सक्राइबर का था. सब्सक्राइबर और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद सब्सक्राइबर की नॉमिनी पेंशन वेल्थ प्राप्त करने का हकदार होगा क्योंकि सब्सक्राइबर की आयु 60 वर्ष तक होती है.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम)

यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान करने के लिये है. 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट में घोषणा किये जाने के बाद, 15 फरवरी, 2019 को श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने लागू कर दिया था.

देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ से अधिक शामिल होने का अनुमान है. ये श्रमिक ज्यादातर आवास पर आधारित श्रम, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मज़दूर, मोची, रैग पिकर, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमि हीन मज़दूर, स्वयं के कार्य में लगे श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़े का कार्य करने वाले श्रमिक, श्रव्य-दृश्य कार्यों में लगे श्रमिक और इसी तरह के व्यवसायों में संलग्न हैं.

ऐसा कोई भी श्रमिक जिसकी मासिक आय रु. 15,000 तक है और 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं इस योजना के लिये पात्र हैं. वे नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) स्कीम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत नहीं आते हों. इसके अलावा यह आयकर दाता नहीं होना चाहिये.

सब्सक्राइबर का अंशदान उसके बचत बैंक खाते/जन धन खाते से 'ऑटो डेबिट' सुविधा के तहत जमा किया जायेगा. सब्सक्राइबर को पीएम-एसवाईएम में शामिल होने की तिथि से 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान राशि का भुगतान करना अपेक्षित होता है.

पीएम-एसवाईएम के अधीन प्रत्येक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रति माह 3000 रु. की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी. पेंशन प्राप्ति की अवधि के दौरान यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, लाभार्थी का जीवन साथी परिवार पेंशन के तौर पर लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन की 50 फीसदी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के लिये लागू होती है.

यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है (60 वर्ष की आयु से पहले) उसका जीवनसाथी योजना में शामिल होने और नियमित अंशदान का भुगतान करके बाद में जारी रखने अथवा मौजूदा प्रावधानों के अनुसार योजना को छोड़ने और इससे हटने का हकदार होगा.

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

यह योजना 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी. यह 18 से 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के किसानों के लिये स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है. सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर रु. 3000 की मासिक पेंशन प्राप्त होगी. इस योजना से क़रीब 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है.

इच्छुक किसानों को रु. 55 से रु. 200 तक के मासिक अंशदान का भुगतान करना होगा जो कि उनकी प्रवेश की आयु पर निर्भर करेगा. यह राशि उनकी सेवानिवृत्ति अर्थात 60 वर्ष की आयु होने तक पेंशन निधि में जमा करनी होगी. केंद्रीय सरकार भी पेंशन निधि में समान राशि का अंशदान करेगी. जीवनसाथी भी निधि में अलग से अंशदान करते हुए रु. 3000/- की अलग से पेंशन प्राप्त करने के लिये पात्र होते हैं. भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन निधि प्रबंधक होगा और पेंशन भुगतान करने के लिये जिम्मेदार होगा.

सेवानिवृत्ति से पूर्व किसान की मृत्यु होने पर जीवनसाथी मृतक किसान की शेष आयु तक बाकी अंशदान का भुगतान करते हुए योजना में बने रह सकता है. यदि जीवनसाथी जारी नहीं रहना चाहता है, किसान द्वारा किये गये कुल अंशदान साथ में ब्याज का का भुगतान जीवनसाथी को कर दिया जायेगा. यदि कोई जीवनसाथी नहीं है, तो कुल अंशदान साथ में ब्याज का भुगतान नामांकित को कर दिया जायेगा. यदि किसान की सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद मृत्यु हो जाती है, जीवनसाथी को परिवार पेंशन के तौर पर 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी.

किसान और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु होने पर, संचित निधियों को वापस पेंशन फंड में जमा कर दिया जायेगा. लाभार्थी नियमित अंशदान की 5 वर्षों की न्यूनतम अवधि के पश्चात योजना से स्वेच्छा से बाहर हो सकते हैं. योजना से अलग होने पर उनके संपूर्ण अंशदान को एलआईसी लागू बचत बैंक दरों के समकक्ष ब्याज के साथ लौटा देगा.

किसान, जो कि प्रधानमंत्री किसान योजना के भी लाभार्थी हैं, उन्हें सीधे उस स्कीम के लाभ से अपने अंशदान को डेबिट करने की अनुमति का विकल्प देना होगा. नियमित अंशदान दिये जाने में चूक के मामले में, लाभार्थियों को निर्धारित ब्याज के साथ बकाया देनदारी का भुगतान करते हुए अंशदानों को नियमित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी. योजना में आरंभिक नामांकन विभिन्न राज्यों में सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए किया जायेगा.

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना

इस योजना की भी केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषणा की गई थी और 22 जुलाई से इसे लागू कर दिया गया. यह योजना छोटे व्यापारियों के लिये है जो स्वरोज़गार में हैं और दुकानदार, खुदरा व्यापारी, चावल मिल स्वामी, तेल मिल स्वामी, कर्मशाला स्वामी, कमीशन एजेंट, रियल एस्टेट के ब्रोकर, छोटे होटलों, रेस्तराओं के स्वामी हैं तथा अन्य लघु व्यवसाय चलाते हैं. ऐसे छोटे व्यापारियों के कामकाज आमतौर पर परिवार के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों, लघु इकाइयों, श्रम सघन, अपर्याप्त वित्तीय सहायता, मौसमी प्रकृति और अवैतनिक पारिवारिक श्रम की विशेषताओं वाले होते हैं. इस योजना के तहत प्रारंभ में लगभग तीन करोड़े छोटे व्यापारियों को शामिल किये जाने की संभावना है.

यह योजना केवल उन लघु व्यवसायियों के लिये खुली होगी जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रु. से अधिक नहीं हैं और उन्हें स्वयं इसकी घोषणा करनी होगी तथा जिनका अपने नाम पर बैंक बचत खाता तथा आधार नंबर है. उनकी आयु अठारह वर्ष से कम और चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये. ऐसे व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के लिये पात्र नहीं होंगे यदि वे केंद्रीय सरकार के अंशदान वाली राष्ट्रीय पेंशन योजना अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना अथवा कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत लाभार्थी हैं अथवा वह आयकरदाता हैं.

इस योजना के अधीन प्रत्येक पात्र सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए न्यूनतम 3000 रु. की मासिक पेंशन प्राप्त होगी. एक बार पात्र सब्सक्राइबर के प्रवेश आयु 18-40 वर्ष के मध्य इस योजना में शामिल हो जाने पर ऐसे सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अंशदान करेंगे तथा यह आयु प्राप्त करने पर ऐसे सब्सक्राइबर परिवार पेंशन लाभ के साथ सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे.

निष्कर्ष

सरकारी योजनाओं के अलावा, वित्तीय संस्थानों द्वारा भी कई प्रकार की पेंशन योजनाओं के प्रस्ताव किये जाते हैं. अब भी तथ्य यह है कि पेंशन की पैठ बहुत कम है. मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन रिपोर्ट सूचकांक में यह पाया गया है कि मात्र छह प्रतिशत कामकाजी आयु जनसंख्या निजी पेंशन योजनाओं के सदस्य हैं. साथ ही पेंशन बाज़ार नियामक पीएफआरडीए के लिये क्रिसिल की एक शोध रिपोर्ट (फाइनेंशियल सिक्यूरिटी फॉर इंडियाज एल्डरली: दि इम्पैरेटिव्स, अप्रैल 2017) का कहना है कि जनसांख्यिकीय दृष्टि से भारत एक युवा देश है परंतु धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है. इसमें कहा गया है, ''2050 तक हर पांचवां भारतीय वर्तमान हर बारहवें की तुलना में साठ वर्ष का हो जायेगा, जिससे देश का स्थान जनसंख्या में प्रौढ़ों की हिस्सेदारी की दृष्टि से विकसित दुनिया के समकक्ष पर पहुंच जायेगा. अतः, यह महत्वपूर्ण है कि भारत में अप्रसारित पेंशन बाज़ार को विकसित करने की पहल की जाये, जब स्थिति परिपक्व होती जा रही है''. रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के निष्कर्ष का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है जो कि 2000 में 62.5 के मुकाबले 2015 में 68.3 हो गई. साथ ही 60 की आयु में भी जीवन प्रत्याशा 2000 में 16.5 के मुकाबले 2015 में 17.9 पर पहुंच गई. ये सब बातें अधिक बेहतर और व्यापक पेंशन अवसंरचना के लिये आधार तैयार कर रही हैं और वह भी एक किफायती लागत तथा सरलता के साथ तैयार की जानी चाहिये.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो व्यवसाय और अर्थशास्त्र कवर करते हैं. ई-मेल आईडी:hblshishir@gmail.com)

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं.

(चित्र सौजन्य से: गूगल)